न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम), भदोही।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–602 सन 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10018952026

धनंजय दूबे उम्र लगभग 40 वर्ष ओमप्रकाश दूबे, निवासी पीपरतर कैथान(वार्ड नं०7 पकड़ीतर)खमरिया, थाना–औराई, जनपद–भदोही। ....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य । ....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–680 सन 2020
धारा–135 भारतीय विद्युत अधि०
थाना–ए.पी.टी., जनपद–भदोही।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त धनंजय दूबे उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश दूबे, निवासी पीपरतर कैथान(वार्ड नं०7 पकड़ीतर)खमरिया, थाना–औराई, जनपद–भदोही की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

आवेदक/अभियुक्त धनंजय दूबे पुत्र ओमप्रकाश दूबे न्यायालय में आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह अभियोग है कि दिनांक 29.12.2020 को उप–निरीक्षक मनोज राय, प्रभारी प्रवर्तन दल भदोही के नेतृत्व में गठित चेकिंग टीम द्वारा समय 13.00 बजे मोहल्ला पीपरतर कैथान के परिसर स्वामी धनंजय दूबे के आवासीय परिसर को चेक किया गया तो उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में संयोजन के अतिरिक्त एक अन्य केबिल जोड़कर एल.एम.वी.1 विधा में 1 किलोवाट का अवैध रुप से विद्युत उपभोग करते हुए पाया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध शमनीय है तथा अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसके द्वारा मु० 10,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–06.06.2026

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम), भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.06.25 13:46:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court